

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3016

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाएँ

3016. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान देश में विद्युत का उपयोग बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश विशेषकर केरल में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किन नई विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 2009-10 के दौरान 779 यूनिटों से बढ़कर 2018-19 के दौरान 1181 यूनिट हो गई है।

(ग) : 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 358 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान, अधिकतम व्यस्ततम मांग लगभग 184 जीडब्ल्यू थी, जो सफलतापूर्वक पूरी की गई।

(घ) : विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। विद्युत उत्पादन परियोजनाएं विद्युत की मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटीयों एवं राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा स्थापित की जाती हैं। वर्ष 2019 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर में किरू हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (624 मेगावाट) एवं सिक्किम में तीस्ता-IV हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (500 मेगावाट) के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*